न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 05/16

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जोतराम पुत्र श्री खेता राम जाति कुम्हार निवासी चक 56 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

सरपंच,ग्राम पंचायत जीवनदेसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत जीवनदेसर
दिनांक 21–07–2014

उपस्थित :
श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत, जीवनदेसर

आदेश दिनांक : 10–07–2017

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। निगरानीकर्ता के भाई इन्द्राज ने अहाता सं0 15 के विरूद्व एक निगरानी सं0 26/13 इन्द्राज बनाम जोतराम इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय दिनांक 20–05–14 को किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 20–05–14 की पालना नहीं कर प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 21–07–14 पारित करते हुए पूर्व में जारी इंतकाल को खारिज कर नये आदेशानुसार उक्त निर्णय अहाता सं0 15 साईज 80 गुणा 100 फुट में से 67 गुणा 80 फुट में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर –2 तीनों वारिसों के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है। निगरानीकर्ता को उसके पिता खेताराम ने दस रूपये के स्टाम्प पर घरू बंटवारा के अनुसार अपना खरीदशुदा भूखण्ड सं0 15 का 67 फुट गुणा 80 फुट अपने पुत्र निगरानीकर्ता को दे दिया और कब्जा देते हुए यह भी अंकन किया गया कि इस बंटवारा के दस्तावेज का अमल दरामद पंचायत अपने रेकार्ड में करें तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं होगा। इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 6 के माध्यम से इन्तकाल दर्ज कर दिया जिसका ग्राम पंचायत के रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 21–7–14 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकर्ता के भाई इन्द्राज ने अहाता सं0 15 के विरूद्व एक निगरानी सं0 26/13 इन्द्राज बनाम जोतराम इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय दिनांक 20–05–14 को किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी।

जोतराम पुत्र श्री खेता राम जाति कुम्हार निवासी चक 56 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

सरपंच,ग्राम पंचायत जीवनदेसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत जीवनदेसर
दिनांक 21–07–2014

उपस्थित :
श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत, जीवनदेसर

आदेश **दिनांक : 10–07–2017**

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। निगरानीकर्ता के भाई इन्द्राज ने अहाता सं0 15 के विरूद्व एक निगरानी सं0 26/13 इन्द्राज बनाम जोतराम इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय दिनांक 20–05–14 को किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 20–05–14 की पालना नहीं कर प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 21–07–14 पारित करते हुए पूर्व में जारी इंतकाल को खारिज कर नये आदेशानुसार उक्त निर्णय अहाता सं0 15 साईज 80 गुणा 100 फुट में से 67 गुणा 80 फुट में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर –2 तीनों वारिसों के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है। निगरानीकर्ता को उसके पिता खेताराम ने दस रूपये के स्टाम्प पर घरू बंटवारा के अनुसार अपना खरीदशुदा भूखण्ड सं0 15 का 67 फुट गुणा 80 फुट अपने पुत्र निगरानीकर्ता को दे दिया और कब्जा देते हुए यह भी अंकन किया गया कि इस बंटवारा के दस्तावेज का अमल दरामद पंचायत अपने रेकार्ड में करें तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं होगा। इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 6 के माध्यम से इन्तकाल दर्ज कर दिया जिसका ग्राम पंचायत के रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 21–7–14 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकर्ता के भाई इन्द्राज ने अहाता सं0 15 के विरूद्व एक निगरानी सं0 26/13 इन्द्राज बनाम जोतराम इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय दिनांक 20–05–14 को किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 20–05–14 की पालना नहीं कर प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 21–07–14 पारित करते हुए पूर्व में जारी इंतकाल को खारिज कर नये आदेशानुसार उक्त निर्णय अहाता सं0 15 साईज 80 गुणा 100 फुट में से 67 गुणा 80 फुट में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर –2 तीनों वारिसों के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है। निगरानीकर्ता को उसके पिता खेताराम ने दस रूपये के स्टाम्प पर घरू बंटवारा के अनुसार अपना खरीदशुदा भूखण्ड सं0

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

15 का 67 फुट गुणा 80 फुट अपने पुत्र निगरानीकर्ता को दे दिया और कब्जा देते हुए यह भी अंकन किया गया कि इस बंटवारा के दस्तावेज का अमल दरामद पंचायत अपने रेकार्ड में करें तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं होगा। इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 6 के माध्यम से इन्तकाल दर्ज कर दिया जिसका ग्राम पंचायत के रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। बतः निगरानी स्वीकार की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत, जीवनदेसर द्वारा एक दस्तावेज पारिवारिक बंटवारा जिसकी चित्रित प्रति पत्रावली में शामिल है, के आधार पर दिनांक 20–01–2003 को ग्राम पंचायत की बैठक में खेताराम पुत्र श्री गणपतराम जाति कुम्हार निवासी 56 एल0एन0पी0 तहसील पदमपुर का पारिवारिक बंटवारानामा पेश हुआ, जिसपर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अहाता सं0 15 का साईज 67 फुट गुणा 80 फुट पारिवारिक बंटवारे के आधार पर खुद पुत्र जोतराम को जो निवासी 56 एल एन पी के नाम इंतकाल सर्वसम्मति से तस्दीक किया जाता है।इस पारिवारिक बंटवारे को तस्दीक करने में ग्राम पंचायत विधिक रूप से सक्षम नहीं है क्योंकि पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर ग्राम पंचायत को इस प्रकार इंतकाल दर्ज करने के विधिक अधिकार राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21–07–14 को खसरा आबादी रजिस्टर में अहाता सं0 15 के संबंध में जो इंतकाल दर्ज किया गया है, वह विरासतन बराबर–2 किया है जो अनियमित नहीं है इसलिए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत आदेश दिनांक 21–7–14 जिसके द्वारा इंतकाल स्वीकृत किया गया है, को पुष्ट किया जाता है। निगरानीकर्ता निगरानीधीन अहाता के संबंध में यदि वह अपने पक्ष में पारिवारिक बंटवारे के परिप्रेक्ष्य में अपना अधिकार/स्वत्व घोषित कराना चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस बाबत घोषणात्मक वाद दायर कर चाराजोई करे। आदेश की प्रति मय रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 10–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)